

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-216014
CG-DL-E-07022020-216014

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2020/माघ 17, 1941
No. 34]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2020/MAGHA 17, 1941

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2020

विषय : केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर काम करने के निमित्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गार्डिडों के लिए नीति ।

फा. सं. 29/5/2018-एम—दिनांक 31 जनवरी 2017 की अधिसूचना (फा. सं. 33/35/2015-एम-भाग-1) द्वारा अधिसूचित नीति जो कि दिनांक 20 जुलाई, 2018 की अधिसूचना (फा. सं. 29/1/ 2017-एम भाग-1- द्वारा संशोधित की गई थी को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

उषा शर्मा, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2020

Subject: The Policy for Archaeological Survey of India Guides to perform within Centrally Protected Monuments.

F. No. 29/5/2018-M.—The Policy notified vide Notification dated 31.01.2017 (F. No. 33/35/2015-M-Pt.) and further amended vide Notification dated 20.07.2018 (F. No. 29/1/2017-M Pt-I) stand withdrawn with immediate effect.

USHA SHARMA, Director General

739 GI/2020